

1609
3-5-17.

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

✓ सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उ०प्र०, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

लखनऊ :दिनांक: 3 मई, 2017

विषय : प्रदेश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं पर मनोरंजन कर अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-190/प्र०क०-2/2016-17 दिनांक 23.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं यथा अन्तरराष्ट्रीय टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, टी-20 मैच एवं आई०पी०एल० के टी०-20 मैच पर मनोरंजन कर अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 405/प्र०क०-2//2017-18

प्रतिलिपि:- 1-समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित शासनादेश को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

d:entertainment ta:diwakar

भवदीय
नेकपाल वर्माविशेष सचिव। 05 मई, 2017
लखनऊअखिलेश मणि त्रिपाठी
4.5.17उपायुक्त,
कृते आयुक्त।

आयुक्त

Sh

03-5-17

आयुक्त

de

Sh

02.5.17

ETOCs/R

3/5/17